

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक 2092 / 1453 / 2015 / वाक(समन्वय) / पांच नया रायपुर दिनांक 26.06.2015 एवं आयुक्त वाणिज्यिक कर छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक वाकआ / एक / रथा. / 110 / 15 / 5039 दिनांक 20.07.2015 के संदर्भ में संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर रायपुर संभाग क्रमांक-दो के अंतर्गत निःशक्त जनों के रिक्त पदों के बैकलॉग की भर्ती हेतु निम्नलिखित रिक्त पदों पर भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक स्वयं सुनिश्चित कर लें कि वे नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता तथा अन्य शर्तों के अनुसार पात्रता रखते हैं।

क्र.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या				योग	निःशक्तता का प्रकार
			अ.जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. व.	अना.		
1	सहायक ग्रेड-तीन	5200—20200 + ग्रेड पे 1900	—	—	—	1	1	OA(एक बाजु), OL(एक पैर), BL (दोनों पैर), LV (निम्न दृष्टि), HH (श्ववण बाधित)

शैक्षणिक योग्यता :-

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र (10+2) बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष।
 2. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।
 3. कम्प्यूटर की हिंदी टायपिंग का 5000 Key की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए, चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा ली जायेगी।

नियम एवं शर्तेः—

1. उम्मीदवारों को अपनी आयु के समर्थन में हाई स्कूल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिये मान्यता प्राप्त संस्थान छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा एवं जनशवित नियोजन विभाग द्वारा अनुशासित संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
 3. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 4. आवेदक का आवेदित पद के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य आवेदन तिथि को पूर्ण होना आवश्यक है।

5. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक—एफ 20—४/२०१४/आ.प्र./१—३ दिनांक २७.०९.२०१४ के कंडिका ८ के अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/ पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम ४० प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे निर्धारित प्रारूप में (अंगोच्छेदन या अंगों की पूरी स्थायी अंगाघात और अंधापन की दशा में प्रारूप—२ में बहु निःशक्तता में प्रारूप—३ में तथा अन्य को प्रारूप—४ में) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा यह सुनिश्चित कर लेवें कि विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूर्ण करते हैं। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन स्वरूप निरस्त माना जावेगा।
7. दिनांक ०१.०१.२०१६ को १८ वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा अधिकतम आयु ३५ वर्ष हो। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अन्य छूट भी लागू रहेगा लेकिन छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ ३—२/२००२/१—३ दिनांक १६.०९.२००८ के कंडिका—३(द) अनुसार सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा ४५ वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु के समर्थन हेतु संबंधित प्रमाणपत्र/अंकसूची को सत्यापित कर छायाप्रति आवेदन के साथ लगाना अनिवार्य है।
8. उच्चतर आयु सीमा में ४०गो शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत नियमानुसार छूट की पात्रता होगी।
9. आवेदक को किसी प्रकार का यात्रा पूरक/क्षति पूरक व्यय/मानदेय इत्यादि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
10. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। ऐसे पत्रों के संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।
11. चयन उपरान्त यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो नियुक्ति निरस्त की जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
12. कोई भी आवेदक जिसने विवाह के लिए शासन द्वारा नियत की गई न्यूनतम सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो तो नियुक्ति के लिये अपात्र माने जायेंगे।
13. आवेदन पत्र इस कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रकाशित नमूने अनुसार स्वयं तैयार कर प्रस्तुत करना होगा।
14. परीक्षा के प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जायेगी। सहायक ग्रेड—तीन के पद हेतु (Key) डिप्रेशन की गति के संबंध में कौशल परीक्षा हेतु रिक्त पदों के ०५ गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जायेगा। जिसकी सूचना विभागीय वेबसाईट <http://comtax.cg.nic.in> में दी जायेगी। मेरिट अनुसार उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की कौशल परीक्षा दिनांक २३.०२.२०१६ को कार्यालय संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग क्रमांक—दो, रायपुर (४०गो) में लिया जायेगा।

15. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर रायपुर संभाग क्रमांक-दो को होगा ।
16. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के अतिरिक्त उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं कार्य अनुभव आदि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कोई अतिरिक्त अंक प्रदाय नहीं किया जावेगा ।
17. समान अंक प्राप्त करने वाले एक से अधिक उम्मीदवारों को उनके जन्म आधार पर जिनका जन्म पहले हो, मेरिट क्रम में उपर रखा जावेगा ।
18. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत् आवेदकों को नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
19. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो प्रावीणता अंक के आधार पर उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा ।
20. योग्य उम्मीदवारों का अंतिम चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा ।
21. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अनुसार वह उम्मीदवार नियुक्ति के लिये अपात्र होंगे यथा पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति जीवित हो, जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, जो आपराधिक प्रकरण में सजायाप्ता हो ।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :—

1. पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर रायपुर संभाग क्रमांक-दो कृष्णा गैलोरी, कृष्ण नगर, देवेन्द्र नगर, रायपुर छ.ग. दिनांक 15.02.2016 दिन सोमवार को शाम 5.00 बजे तक बन्द लिफाफा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा ही स्वीकार किया जावेगा । लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम अंकित करना होगा । निर्धारित तिथि व समय पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा ।
2. आवेदन पत्र में चस्पा फोटो एवं संलग्न प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है ।
3. आवेदन पत्र के साथ रूपये 6.00 की डाक टिकिट लगा हुआ स्वयं का नाम एवं डाक पता लिखा लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है ।

नोट :-

1. सामान्य प्रशासन के परिपत्र क्रमांक एफ 13-15/2012/आ.प्र./1/3 दिनांक 18.07.2012 के निर्देशानुसार की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष याचिका क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्ययीन रहेंगी एवं विज्ञाप्ति किये गये रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है ।
2. आवेदक द्वारा उपरोक्त पदों हेतु किसी तरह का सिफारिश/पैरवी, अनुचित दबाव का प्रयोग उनकी अयोग्यता मानी जावेगी ।
3. विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय त्रुटि सुधारी जा सकती है । सूचना विधिवत समाचार पत्रों में प्रकाशित होगी ।

Geewan:
संभागीय उपायुक्त
वाणिज्यिक कर रायपुर
संभाग क्रमांक-दो

आवेदन पत्र का प्रारूप

के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

वर्ग : _____

विज्ञापन संख्या /

प्रति,

दिनांक

संभागीय उपायुक्त,
वाणिज्यिक कर रायपुर,
संभाग क्रमांक-दो.

- आवेदित पद का नाम :— _____
 - आवेदक का नाम (हिन्दी में) :— _____
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :— _____
 - लिंग (महिला / पुरुष) :— _____
 - पिता / पति का नाम :— _____
 - वर्तमान पत्र व्यवहार का पता :— _____

 - स्थायी पता :— _____

 - मोबाइल नंबर :— _____
 - राष्ट्रीयता :— _____
 - जन्म तिथि (अंको में)
(शब्दों में) :— _____

 - दिनांक 01.01.2016 को आयु :— _____
 - जन्म स्थान :— _____
 - जाति वर्ग का विवरण :— _____
(अजजा / अजा / अपवि / सामान्य)
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
 - शैक्षणिक योग्यता :— _____

क्र0	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड / संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

13. निःशक्तता का स्वरूप दृष्टिवाधित / श्रवण वाधित / अस्थि वाधित

नोट :- शासकीय अस्पताल के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

14. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं :—
यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

15. क्या आप विवाहित हैं,
16. जीवित बच्चों की संख्या

17. क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक प्रकरण विचाराधीन है :-----

18. आवेदक शासकीय / अर्धशासकीय संस्था में :-----

सेवारत है (यदि हाँ तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

19. आवेदक कोरी लिफाफा जिस पर अपना पत्र व्यवहार का पता व 6 रुपये का डाक टिकट लगा हो संलग्न करें ।

संलग्न :- सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची विवरण सहित

1. ----- 2. -----

3. ----- 4. -----

1. ----- 6. -----

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण/समस्त योग्यता रखता/रखती हूं। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गयी जानकारी का सूचना गलत/असत्य एवं अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द/निरस्त की जा सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी एवं इस आधार पर मुझे नोटिस दिये बिना मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती है ।

स्थान :-

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम :-----

पता :-----